

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।
संख्या: 64/10 / छजीरा-10 (2019-20) गोपेश्वर दिनांक: 25 जून, 2020

अधिशारी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

विषय: जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव(प्रभारी), राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0-230/XVIII(II)/2020-18(17)/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 के अनुसार जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला प0वृ0 असेड सिमली की सीमान्तगत खा0ख0सं0-10 के खसरा सं0-1346 रकबा 0.401 है0 भूमि मध्ये 0.100 है0 भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़कोट की सीमान्तगत खा0ख0सं0-05 के खसरा सं0-555 रकबा 0.284 है0 भूमि मध्ये 0.119 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियां के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-260/वि0अनु0-3/2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश सं0-111/XVIII(II)(7)50(39) /2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश सं0-1887/XVIII(II)/2015-18(169) /2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक आवंटित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में वापस ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण आधाननग्न लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन वन वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्त होगा जब उस अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

यदि भूमि/भवन का परिष्कार कर दिया गया हो अथवा संस्था का दिवंगत हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।

प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व 30.09.20 जमींदारी दिवारा एवं भू-व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुरक्षित प्राविधानों का अनुपालन उक्त जिलाधिकारी अथवा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

कमर:- 2 -

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।
संख्या-64/10/छजीस-10 (2019-20) गोपेश्वर दिनांक 25 जून, 2020
अधिशारी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

विषय: जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव(प्रभारी), राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0-238/XVIII(II)/2020-18(17)/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 के अनुसार जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला प0वृ0 असेड सिमली की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-10 के खसरा सं0-1346 रकबा 0.401 है0 भूमि मध्ये 0.100 है0 भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़कोट की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-05 के खसरा सं0-555 रकबा 0.284 है0 भूमि मध्ये 0.119 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियां के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-260/वि0अनु0-3/2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश सं0-111/XVIII(II)(7)50(39) /2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश सं0-1887/XVIII(II)/2015-18(169) /2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक आवंटित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में रकम ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन वन वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्त होगा जब उस अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

8. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व 30.06.2007 तारीख की दिनांक एवं भू-व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-132 एवं अन्य दुरागत प्राविधानों का अनुपालन उन जिलाधिकारी अथवा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

कमरा - 2 -

9C

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कम में आप उप जिलाधिकारी, थराली से समन्वय स्थापित करते हुए प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम अगलदरामद/हस्तान्तरण करवाते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(स्वाति एस०मदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 १- निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

- प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक, देहरादून ।
1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
 2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग—2, देहरादून ।
 3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
 4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
 5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर ।
- निम्नलिखित सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि...

5. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

6. उप जिलाधिकारी थराली को इस निर्देश के साथ भेजित कि संलग्न शासनादेश के प्रस्तर-01 से 11 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद/हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तानुसार।

जिलाधिकारी,
चमोली।

9C

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

Aam/LACI

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,
चमोली।

ame
20-3-20

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 28 फरवरी, 2020

विषय:-जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3443/छब्बीस-18 (2019-2020), दिनांक 05 फरवरी 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, पठवृ0 असेड़ सिमली की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-10 के खसरा सं0-1346 रकबा 0.401 है0 भूमि मध्ये 0.100 है0 भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढलकोट, की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-05 के खसरा सं0-555 रकबा 0.284 है0 भूमि मध्ये 0.119 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली में पैठाणी से, गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, पठवृ0 असेड़ सिमली की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-10 के खसरा सं0-1346 रकबा 0.401 है0 भूमि मध्ये 0.100 है0 भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढलकोट, की सीमान्तर्गत खा0ख0सं0-05 के खसरा सं0-555 रकबा 0.284 है0 भूमि मध्ये 0.119 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त/अनुभाग-3/2002, दिनांक-15-02-2002, शासनादेश संख्या-111/xxvii(7)50(39)/2015/2014, दिनांक-09-07-1015 तथा शासनादेश संख्या-1887/xviii(ii)/2015-18(169)/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित प्राविधानानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे गिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- (7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भू-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुशील कुमार)
सचिव (प्रमारी)।

संख्या- /XVIII(II)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

9C